पंजीकरण संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–20] रुड़की, शनिवार, दिनांक 07 दिसम्बर, 2019 ई0 (अग्रहायण 16, 1941 शक सम्वत्) [संख्या–49

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	705–711	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	1163–1197	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	–	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	213	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–4

विज्ञप्ति / सेवानिवृत्ति

08 नवम्बर, 2019 ई0

संख्या 422 / XXX(4) / 2019–04(9) / 2019–श्री मिथिलेश झा, न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, टिहरी गढ़वाल के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकृत किए जाने विषयक प्रार्थना–पत्र दिनांक 21.10.2019 के क्रम में, महानिबंधक, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के पत्र संख्या 7191/UHC/XIV-90/Admin.A/2003, दिनांक 06 नवम्बर, 2019 के माध्यम से प्रेषित मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय की संस्तुति के आलोक में, शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त, वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–2, भाग 2 से 4 के अध्याय 9 सेवानिवृत्ति के मूल नियम 56(घ)(1) में प्रावधानित तीन माह के नोटिस अवधि में, मूल नियम 56(घ)(2) के प्राविधान के तहत छूट प्रदान करते हुए, श्री मिथिलेश झा, न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, टिहरी गढ़वाल को तत्काल प्रभाव से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

राज्यपाल की आज्ञा से,
राधा रतूड़ी,
अपर मुख्य सचिव।

गृह अनुभाग–1

कार्यालय ज्ञाप

31 अक्टूबर, 2019 ई0

संख्या 759 / XX(1)–2019–2(6)2017 टी0सी0–पुलिस महानिरीक्षक, मुख्यालय / कार्मिक, पुलिस मुख्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्याः डीजी–एक–51–2012(7), दिनांक 17 अक्टूबर, 2019 के क्रम में सम्यक् विचारोपरान्त श्री रोशन लाल शर्मा, (IPS-SPS: 2006), सेनानायक, 40वीं वाहिनी पीएसी को दिनांक 31.10.2019 को अधिवर्षता आयु पूर्ण करने पर उक्त तिथि के अपरान्ह से सेवानिवृत्त किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,
नितेश कुमार झा,
सचिव।

कृषि एवं विपणन अनुभाग–2

अधिसूचना

04 नवम्बर, 2019 ई0

संख्या 526 / XIII-II / 19–33(01) / 2013–राज्यपाल, उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2011 (अधिनियम संख्या 09, वर्ष 2011) की धारा–11 सपठित धारा–7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करते हैं कि इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशन की तारीख से, पूर्व में जारी अधिसूचना संख्या–1154 / XIII-II / 33(01) / 2013, दिनांक 03 दिसम्बर, 2013 द्वारा इस रूप में घोषित जिला हरिद्वार के मण्डी क्षेत्र भगवानपुर का अग्रसारित भाग, जो नीचे अनुसूची के स्तम्भ–3 में उल्लिखित है, स्तम्भ–2 में उल्लिखित प्रधान मण्डी स्थल होगा, अर्थात्–

अनुसूची

क्र0 सं0	मण्डी स्थल का नाम	मण्डी क्षेत्र का भाग
1	2	3
1.	प्रधान मण्डी स्थल, भगवानपुर	1. नगर पंचायत, भगवानपुर के सर्किल के समस्त क्षेत्र

2. राज्यपाल, यह भी निर्दिष्ट करते हैं कि उक्त के सम्बन्ध में कोई आपत्ति और सुझाव प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद विपणन बोर्ड, रुद्रपुर (ऊधमसिंह नगर) को दो प्रतियों में सम्बोधित एवं प्रेषित किए जायेंगे तथा केवल उन्हीं आपत्तियों एवं सुझावों पर विचार किया जायेगा, जो इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने की दिनांक से 30 दिन की अवधि के भीतर प्राप्त होंगे।

आज्ञा से,

आर0 मीनाक्षी सुन्दरम,

सचिव।

In pursuance of the provision of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification **No. 526/XIII-II/19-33(1)/2013,** dated November 04, 2019 for the general information.

NOTIFICATION

November 04, 2019

No. 526/XIII-II/19-33(1)/2013–In exercise of the powers conferred by Section-11 read with Section-7 of the Uttarakhand Agricultural Produce Market (Development and Regulation) Act, 2011 (Act No. 09 of 2011), the Governor hereby declares that from the date of publication of this notification in the Gazette, the Bhagwanpur Mandi Notified area of district Haridwar, declared by notification no. 1154/XIII-II/ 33(01)/2013, dated December 03, 2013, which is mentioned in column-3 of the schedule below, shall be Primary Market Yard, as mentioned in column 2 below namely:–

S. No.	NAME OF MARKET YARD	PART OF MARKET AREA
1	2	3
1.	Primary Market Yard, Bhagwanpur	All area of Nagar Panchayat Bhagwanpur Circle

2. The Governor also specifies that any objection and suggestion regarding the above shall be addressed and forwarded to the Managing Director, Uttarakhand Agriculture Produce Marketing Board, Rudarpur (Udham Singh Nagar) in two duplicate and only those objections and suggestions shall be considered, which are received within 30 days from the date of publication of this notification in the Gazette.

By Order,

R. MEENAKSHI SUNDARAM,

Secretary.

गृह अनुभाग–05

अधिसूचना

15 नवम्बर, 2019 ई0

संख्या 643/XX(5)/19–01(अर्द्ध0सै0)2019–राज्यपाल, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30, सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सर्वसाधारण की सूचना के लिए अधिसूचित करते हैं कि उनका समाधान हो गया है कि लोक प्रयोजनार्थ 11वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल, डीडीहाट, जनपद–पिथौरागढ़ की सीमा चौकी गोठी की स्थापनार्थ ग्राम कालिका की 0.190 हे0 भूमि की आवश्यकता है।

चूँकि, धारा 40 के अधीन अत्यावश्यकता सम्बन्धी उपबन्धों का अवलम्ब लेते हुए, उक्त अधिनियम की धारा–9 के अनुसार समुचित सरकार को सामाजिक प्रभाव निर्धारण अध्ययन कराने से छूट प्रदान करने की शक्ति दी गई है;

अतएव, अब, राज्यपाल की यह राय है कि यह मामला अत्यावश्यक है, इसलिए यह निर्देश देते हैं कि यद्यपि इस सम्बन्ध में कोई अधिनिर्णय नहीं दिया गया है तथापि राज्यपाल उक्त लोकप्रयोजन के लिए धारा–40 की उपधारा (1) के उपबन्धों का अवलम्ब लेते हुए, निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को उक्त अधिनियम की धारा–11 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित करते हैं:–

अनुसूची

जिला	परगना	ग्राम	प्लॉट संख्या	क्षेत्रफल (हे0)
1	2	3	4	5
पिथौरागढ़	धारचूला	गोठी (कालिका)	6758 म0,	0.009
			6759 म0,	0.012
			6760	0.006
			6762 म0,	0.006
			6763 म0,	0.021
			6764	0.020
			6765	0.086
			6798 म0,	0.020
			6799 म0	0.010
			योग	0.190

टिप्पणी–भूमि का क्षेत्रफल व अन्य विवरण कलेक्टर, पिथौरागढ़ के कार्यालय में हितबद्ध व्यक्ति द्वारा देखा जा सकता है।

आज्ञा से,

नितेश कुमार झा,

सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 643/XX(5)/19-01(Para-military)/2019, Dehradun dated November 15, 2019 for general information.

NOTIFICATION

November 15, 2019

No. 643/XX(5)/19-01(Paramilitary)/2019–In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Act No. 30 of 2013), the Governor is pleased to notify for general information that he is satisfied that the 0.190 hect. land of village Kalika is required for public purpose to establish the new border post Gothi of 11th Battalion SSB Didihat, Distt. Pithoragarh.

Whereas, invoking the urgency provision under Section 40, power of exemption from undertaking social impact assessment study is given to the appropriate Government in accordance to Section 9 of the said Act;

Now, therefore, the Governor, is of the opinion that the matter is urgent in nature, so directs that though no award has been made regarding it however, the Governor is hereby pleased to notify the land mentioned in the following schedule under sub-section (1) of Section 11 of the said Act invoking the provision of sub section (1) of Section 40 for the said public purpose.

SCHEDULE

District	Tehsil	Gram	Plot no.	Area (Hect.)
1	2	3	4	5
Pithoragarh	Dharchula	Gothi (Kalika)	6758 म0,	0.009
			6759 म0,	0.012
			6760	0.006
			6762 म0,	0.006
			6763 म0,	0.021
			6764	0.020
			6765	0.086
			6798 म0,	0.020
			6799 म0	0.010
			योग	0.190

Note:–Area of the land and other details may be inspected by the interested person in the office of Collector, Pithoragarh.

By Order,

NITESH KUMAR JHA,

Secretary.

न्याय अनुभाग–3

अधिसूचना

नियुक्ति

22 नवम्बर, 2019 ई0

संख्या 137/XXXVI(3)/2019–208/01–T.C.–I–कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (अधिनियम संख्या–66, सन् 1984) की धारा–4 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, श्री राज्यपाल, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल की सहमति से, श्रीमती नीलम रात्रा, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लक्सर, हरिद्वार को अपने इस पद पर कर्तव्यों के निर्वहन के अतिरिक्त न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, लक्सर, जिला हरिद्वार के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियुक्त करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

प्रेम सिंह खिमाल,

सचिव।

शहरी विकास अनुभाग–3

अधिसूचना

01 नवम्बर, 2019 ई0

संख्या 2464/IV(3)/2019–57(सा0)/2006–उत्तराखण्ड राज्य स्थित नगरपालिका परिषद्, मसूरी के वार्ड नं0–08, कचहरी (अनारक्षित श्रेणी) के सभासद पद पर निर्वाचित श्रीमती गीता कुमांई के परिवार का नगरपालिका परिषद्, मसूरी की भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण/कब्जा होने के कारण शासन की अधिसूचना सं0–1990/IV(03)/2019–07(14 रिट)/2019, दिनांक 30 अगस्त, 2019 को गीता कुमांई को सभासद पद के अनर्ह घोषित किए जाने के दृष्टिगत उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगरपालिका परिषद् अधिनियम, 1916) अनुकूलन उपान्तरण आदेश–2002 की धारा–56 के प्राविधानों के क्रम में नगरपालिका परिषद्, मसूरी के वार्ड नं0–08, कचहरी के सभासद पद को एतद्द्वारा आकस्मिक रूप से रिक्त घोषित किया जाता है।

शैलेश बगौली,

सचिव।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग–1

कार्यालय–ज्ञाप

21 नवम्बर, 2019 ई0

संख्या 2497/X–1–2019–14(10)/2014–शासन के स्थानान्तरण/तैनाती आदेश संख्या–2478/X–1–2019–14(10)/2014, दिनांक 19.11.2019 के माध्यम से उक्त शासनादेश के क्रम संख्या–05 पर अंकित श्री कुबेर सिंह बिष्ट, उप वन संरक्षक, चम्पावत वन प्रभाग को पिथौरागढ़ वन प्रभाग में नवीन तैनाती दिए जाने के आदेश हुए हैं, इसी प्रकार क्रम संख्या–06 पर अंकित डॉ0 विनय कुमार भार्गव, उप वन संरक्षक, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ को चम्पावत वन प्रभाग में नवीन तैनाती दिए जाने के आदेश हुए हैं।

2. स्पष्ट किया जाना है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के जनपद पिथौरागढ़ की 44–पिथौरागढ़ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के उप निर्वाचन हेतु दिनांक 30.10.2019 (बुधवार) को अधिसूचना जारी की गई, जिसके क्रम में जनपद पिथौरागढ़ में दिनांक 30.11.2019 (शनिवार) तक आदर्श आचार संहिता प्रभावी है।

3. जनपद पिथौरागढ़ में उपरोक्तानुसार प्रभावी आदर्श आचार संहिता के दृष्टिगत शासन के स्थानान्तरण/तैनाती आदेश संख्या–2478/X–1– 2019–14(10)/2014, दिनांक 19.11.2019 के माध्यम से क्रम संख्या–05 एवं क्रम संख्या–06 पर अंकित उक्त संदर्भित दोनों अधिकारियों के स्थानान्तरण आदेश को आदर्श आचार संहिता समाप्त होने की तिथि दिनांक 30.11.2019 तक स्थगित किया जाता है।

4. जनपद पिथौरागढ़ में प्रभावी आदर्श आचार संहिता के दिनांक 30.11.2019 को समाप्त होने के उपरान्त शासन के स्थानान्तरण/तैनाती आदेश संख्या–2478/X–1– 2019–14(10)/2014, दिनांक 19.11.2019 के अनुसार उक्त स्थानान्तरण/तैनाती आदेश के क्रम संख्या–05 एवं क्रम संख्या–06 पर अंकित अधिकारीगण अपने नवीन स्थानान्तरण/तैनाती स्थल पर अविलम्ब योगदान प्रस्तुत करेंगे।

अरविन्द सिंह ह्यांकी,
सचिव।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग–1

विज्ञप्ति/सेवानिवृत्ति

08 नवम्बर, 2019 ई0

संख्या 2253/X–1–2019–14(09)/2014–श्री भुवन चन्द्र, भा0व0से0, मुख्य वन संरक्षक, वन पंचायत एवं सामुदायिक वानिकी, उत्तराखण्ड, देहरादून, जिनकी जन्मतिथि 16.02.1960 (सोलह फरवरी उन्नीस सौ साठ) है, 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दिनांक 29.02.2020 के अपराह्न को राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो जायेंगे।

सुभाष चन्द्र,
अपर सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 49 हिन्दी गजट/594–भाग 1–2019 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 07 दिसम्बर, 2019 ई0 (अग्रहायण 16, 1941 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

November 16, 2019

No. 299/XIV-a/33/Admin.A/2016–Ms. Parul Thapliyal, Additional Civil Judge (Jr. Div.), Khatima, District Udham Singh Nagar is hereby sanctioned medical leave for 15 days *w.e.f.* 30.09.2019 to 14.10.2019.

NOTIFICATION

November 18, 2019

No. 300/XIV-a/22/Admin.A/2011–Ms. Rinky Sahni, 2nd Additional Chief Judicial Magistrate, Dehradun is hereby sanctioned earned leave for 10 days *w.e.f.* 30.10.2019 to 08.11.2019 with permission to prefix 25.10.2019 to 29.10.2019 as Deepawali and local holidays and suffix 09.11.2019 to 10.11.2019 as holidays.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,
Sd/-
Registrar (Inspection).

NOTIFICATION

November 21, 2019

No. 301/UHC/Admin.A/2019–Smt. Neelam Ratra, Judge Family Court, Laksar, District Hardwar is repatriated and posted as Additional District & Sessions Judge, Laksar *vice* Sri Ambika Pant.

NOTIFICATION

November 21, 2019

No. 302/UHC/Admin.A/2019–Sri Ambika Pant, Additional District & Sessions Judge, Laksar, District Hardwar is transferred and posted as Additional Director, Uttarakhand Judicial And Legal Academy, Bhowali, Distt. Nainital in the vacant post.

The order will come into force with immediate effect.

By Order of the Court,
Sd/-
HIRA SINGH BONAL,
Registrar General.

NOTIFICATION

November 21, 2019

No. 303/UHC/VIII-(a/b)-2/2018/Stationery–Pursuant to the Government Notification No. 999(1)/xxxi(15)G/19-31(सा0)/2015, dated 19th November, 2019, issued U/s 25 Negotiable Instrument Act, 1881 (Act of 26, 1881). The Hon'ble High Court of Uttarakhand has been pleased to declare 22/11/2019 (Friday) as a holiday in the Subordinate Courts in Roorkee, District Hardwar on account of General Election-2019 of Nagar Nigam, Roorkee, District Hardwar.

NOTIFICATION

November 22, 2019

No. 305/UHC/VIII-(a/b)-2/2018/Stationery–Pursuant to the Government Notification No. 973(1)/xxxi(15)G/19-10(सा0)/2017, dated 07th November, 2019, issued U/s 25 Negotiable Instrument Act, 1881 (Act of 26, 1881). The Hon'ble High Court of Uttarakhand has been pleased to declare 25/11/2019 (Monday) as a holiday in the Subordinate Courts falling under 44-Pithoragarh, Vidhan Sabha area District Pithoragarh on account of Bye Election of 44-Pithoragarh, Vidhan Sabha.

By Order of the Hon'ble Court,
Sd/-
HIRA SINGH BONAL,
H.J.S.
Registrar General.

कार्यालय राज्य कर आयुक्त, उत्तराखण्ड
(विधि–अनुभाग)

18 नवम्बर, 2019 ई0

ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्य0), राज्य कर,
देहरादून/हरिद्वार/रुड़की/रुद्रपुर/हल्द्वानी सम्भाग।

पत्रांक 4894/रा0कर आयु0 उत्तरा0/विधि–अनुभाग/Noti. Vo. I/2019–20/देहरादून–उत्तराखण्ड शासन, वित्त अनुभाग 8 द्वारा जारी अधिसूचना संख्याएँ 944/2019/10(120)/XXVII(8)/2019/CTR-14; 945/2019/10(120)/XXVII(8)/2019/CTR-15; 946/2019/10(120)/XXVII(8)/2019/CTR-16; 947/2019/10(120)/XXVII(8)/2019/CTR-17; 948/2019/10(120)/XXVII(8)/2019/CTR-18; 949/2019/10(120)/XXVII(8)/2019/CTR-19; 950/2019/10(120)/XXVII(8)/2019/CTR-20; 951/2019/10(120)/XXVII(8)/2019/CT-43; 952/2019/10(120)/XXVII(8)/2019/CTR-21; 953/2019/10(120)/XXVII(8)/2019/CTR-22; 954/2019/10(120)/XXVII(8)/2019/CTR-23; 955/2019/10(120)/XXVII(8)/2019/CTR-24 एवं 956/2019/10(120)/XXVII(8)/2019/CTR-25, समदिनांकित 14 नवम्बर, 2019 का संदर्भ ग्रहण करें, जिनके द्वारा क्रमशः अधिसूचना संख्याएँ 514/2017, 518/2017, 516/2017,

समदिनांकित 29 जून, 2017, अधिसूचना संख्या 87/2019 दिनांक 24 जनवरी, 2019, अधिसूचना संख्या 281/2019 दिनांक 09 अप्रैल, 2019, में संशोधन, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन को की गई सभी वस्तुओं की आपूर्ति में छूट प्रदान करने, अधिसूचना संख्या 525/2017 दिनांक 29 जून, 2017, अधिसूचना संख्या 284/2019 दिनांक 09 अप्रैल, 2019, अधिसूचना संख्याएँ 530/2017, 526/2017, समदिनांकित 29 जून, 2017, अधिसूचना संख्या 140/2018 दिनांक 02 फरवरी, 2018, अधिसूचना संख्या 420/2019 दिनांक 31 मई, 2019 में संशोधन तथा राज्य सरकारों द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलापों या संव्यवहार, जिनमें वे लोक प्राधिकारी के रूप में नियुक्त की गई हों, को न तो माल की आपूर्ति और न ही सेवा की आपूर्ति माना जाना अधिसूचित किया गया है।

उपरोक्त अधिसूचनाओं की प्रति इस आशय से प्रेषित है कि उक्त की अतिरिक्त प्रतियाँ कराकर अपने अधीनस्थ समस्त कर–निर्धारण अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु तथा बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/सचिव को सूचनार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

वित्त अनुभाग–8

अधिसूचना

14 नवम्बर, 2019 ई0

संख्या 944/2019/10(120)/XXVII(8)/2019/CTR-14–चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या 06, वर्ष 2017) की धारा 9 की उपधारा (1) और धारा 15 की उपधारा (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जीएसटी परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग–8 की अधिसूचना संख्या 514/2017/9(120)/XXVII(8)/2017, दिनांक 29 जून, 2017 में अग्रेत्तर निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, यथा–

उक्त अधिसूचना में,

क. अनुसूची I–2.5% में,–

(i) क्रम संख्या 33क तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(ii) क्रम संख्या 164 के समक्ष स्तम्भ (3) की प्रविष्टि में, मद ii, के बाद निम्नलिखित मद को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा–

"iii मैरीन फ्यूल 0.5% (एफओ)",

(iii) क्रम सं0 224 के समक्ष, स्तम्भ (2) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "63(6305 32 00, 6305 35 00, 6309)" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(iv) क्रम सं0 234ख और इसमें दी गई प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित क्रम सं0 और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा–

"234ग	8509	वेट ग्राइन्डर, जिसमें पत्थर लगा हो";

(v) क्रम सं0 235 से 242 का और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

ख. अनुसूची II–6% में,–

(i) क्रम सं0 80क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं0 और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जायेगा, यथा–

"80कक	3923 या 6305	पॉलिइथीलीन या पॉलिप्रोपाइलीन स्ट्रिप्स और इसी प्रकार के पदार्थों से बने व्युतित और अव्युतित बैग्स और बोरियाँ, चाहे ये लेमिनेटेड हों या नहीं और जिनका प्रयोग वस्तुओं की पैकिंग में किया जाता हो";

(ii) क्रम सं0 201क तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(iii) क्रम सं0 205 और इसमें दी गई प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित क्रम सं0 और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जायेगा, यथा–

"205क	8601	एक बाह्य विद्युत स्रोत या विद्युत एक्यूमीलेटर से चलने वाले रेल लोकोमोटिव्स।
"205ख	8602	अन्य रेल लोकोमोटिव्स; लोकोमोटिव परिचारक; जैसे कि डीजल–विद्युत लोकोमोटिव्स, भाप से चलने वाले लोकोमोटिव्स और इसके परिचारक

"205ग	8603	स्वतःनोदित रेलवे या ट्रामवे कोचेस, वैन और ट्रक, जो शीर्ष 8604 से भिन्न हो।
"205घ	8604	रेल या ट्राम अनुरक्षण या सर्विस यान, चाहे स्वतःनोदित हैं या नहीं (उदाहरणार्थ, कर्मशाला क्रेने, ब्लास्ट टैंपर्स, ट्रैक लाइनर, परीक्षण कोच और पथ निरीक्षणयान)
"205ङ	8605	रेलवे या ट्रामवे यात्री कोचेस, जो स्वतःनोदित न हों; मालगाड़ी, डाकघर के कोचेस और अन्य विशेष प्रयोजन के लिए रेलवे या ट्रामवे कोचेस, जो कि स्वतःनोदित न हों (शीर्ष 8604 से भिन्न)।
"205च	8606	रेलवे या ट्रामवे मालगाड़ी और वैगन, जो स्वतःनोदित हों।
"205छ	8607	रेलवे या ट्रामवे लोकोमोटिव्स या रॉलिंग–स्टॉक; जैसे कि रेल डिब्बे, बिसल–रेल डिब्बे, एक्सल्स और पहिये और इनके पुर्जे।
"205ज	8608	रेलवे या ट्रामवे की पटरियों को फिक्स और फिट करने के लिए; यांत्रिक सिगनल (विद्युत–यांत्रिक सहित), रेलवे, ट्रामवे, सड़क, इन्लैंड वॉटर वेज, पार्किंग सुविधाओं, पत्तन स्थापना या एयरफील्ड की सुरक्षा या ट्राफिक नियंत्रण यंत्र; उपरोक्त के पुर्जे",

(iv) क्रम सं0 231ख के समक्ष, कॉलम (3) में "स्लाइड फास्टर्नर्स" शब्द के बाद, "और इसके पुर्जे", शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा;

ग. अनुसूची III–9% में,–

(i) क्रम सं0 24क के समक्ष, कॉलम (3) में शब्द "नारियल पानी", के पश्चात् शब्द "कैफीनेटेड पेय", प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ii) क्रम सं0 108 के समक्ष, कॉलम (3) में शब्द "प्लास्टिक के वस्तुएँ" के पश्चात् कोष्ठक, अक्षर और अंक "[अनुसूची (ii) क्रम संख्या 80कक के अन्तर्गत आने वाले मदों को छोड़कर)]" को अंतःस्थापित किया जायेगा।

(iii) क्रम सं0 400 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में,

"निम्नलिखित मोटर वाहन, जिनकी लम्बाई 4000एमएम, से अधिक न हो, यथा–"

(क) पेट्रोल, लिक्यूफाइड पेट्रोलियम गैंसे (एलपीजी) या कम्प्रेस्ड नेचुरल गैस (सीएनजी) से चलने वाले वाहन, जिनकी इंजन क्षमता 1200 सीसी से अधिक न हो; और

(ख) डीजल से चलने वाले वाहन, जिनकी इंजन क्षमता 1500 सीसी से अधिक न हो,

दिव्यांग व्यक्तियों के लिए, बशर्ते कि :

भारत सरकार के भारी औद्योगिक विभाग के उप सचिव रैंक से अन्यून कोई अधिकारी से यह प्रमाणित करें कि उक्त माल का प्रयोग, उक्त विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देश के अनुसार दिव्यांग व्यक्ति द्वारा किया जाएगा;", को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iv) क्रम सं0 446, तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

घ. अनुसूची IV–14% में,–

(i) क्रम सं0 12 और इसमें दी गई प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित क्रम सं0 और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जायेगा, यथा–

"12क	2202 99 90	कैफीनेटेड पेय पदार्थ";

ङ. अनुसूची V–1.5% में,–

(i) क्रम सं0 3 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(ii) क्रम सं0 4 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

च. अनुसूची VI–0.125% में,–

(i) क्रम सं0 2 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "बहुमूल्य रत्न (हीरे से भिन्न) और उप रत्न चाहे ये कर्मित किए गए हों या नहीं या श्रेणित हों या नहीं लेकिन इनको पिरोया, आरूढ़ या जड़ा न गया हो; अन्य श्रेणित बहुमूल्य रत्न (हीरे से भिन्न) और उप रत्न जो परिवहन की सुविधा के लिए अस्थाई रूप से गूंथे गए हो" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) क्रम सं0 2क और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(iii) क्रम सं0 3 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि, "संश्लिष्ट या पुनसंनिर्मित रत्न या उप रत्न चाहे कर्मित या श्रेणीकृत हैं या नहीं किन्तु जो गूंथे, आरूढ़ या जड़े नहीं हैं; अश्रेणीकृत, संश्लिष्ट या पुनः संनिर्मित रत्न जो परिवहन की सुविधा के लिए अस्थाई रूप से गूंथे गए हैं, को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iv) क्रम सं0 4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को लोप किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना दिनांक 01 अक्टूबर, 2019 से लागू होगी।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 944/2019/10(120)/XXVII(8)/2019/CTR-14, dated November 14, 2019 for general information.

NOTIFICATION

November 14, 2019

No. 944/2019/10(120)/XXVII(8)/2019/CTR-14–WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 and sub-section (5) of section 15 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 06 of 2017), the Governor, on the recommendations of the Council, is pleased to allow to make the following further amendments in the notification of the Government of Uttarakhand Finance Section-8 No. 514/2017/9(120)/XXVII(8)/2017, dated 29th June, 2017, namely:–

In the said notification,–

A. in Schedule I–2.5%–

(i) S. No. 33A and the entries relating thereto shall be omitted.

(ii) against S. No. 164, in the entry in column (3), after item ii, the following item shall be inserted, namely:–

"iii Marine Fuel 0.5% (FO)";

(iii) against S. No. 224, for the entry in column (2), the entry "63 [other than 6305 32 00, 6305 33 00, 6309], shall be substituted;

(iv) after S. No. 234B and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely:–

"234C	8509	Wet grinder consisting of stone as grinder";

(v) S. Nos. 235 to 242 and the entries related thereto, shall be omitted;

B. in Schedule II–6%–

(i) After S. No. 80A and entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be substituted namely:–

"80AA	3923 or 6305	Woven and non-woven bags and sacks of polyethylene or polypropylene strips or the like, whether or not laminated, of a kind used for packing of goods";

(ii) S. No. 201A and the entries relating thereto shall be omitted;

(iii) after S. No. 205 and the entries relating thereto, the following S. Nos. and entries shall be inserted, namely: -

"205A	8601	Rail locomotives powered from an external source of electricity or by electric accumulators
205B	8602	Other rail locomotives; locomotive tenders; such as Diesel-electric locomotives, Steam locomotives and tenders thereof
205C	8603	Self-propelled railway or tramway coaches, vans and trucks, other than those of heading 8604
205D	8604	Railway or tramway maintenance or service vehicles, whether or not self-propelled (for example, workshops, cranes, ballast tampers, track liners, testing coaches and track inspection vehicles)
205E	8605	Railway or tramway passenger coaches, not self-propelled; luggage vans, post office coaches and other special purpose railway or tramway coaches, not self-propelled (excluding those of heading 8604)
205F	8606	Railway or tramway goods vans and wagons, not self-propelled
205G	8607	Parts of railway or tramway locomotives or rolling-stock; such as Bogies, bissel-bogies, axles and wheels, and parts thereof
205H	8608	Railway or tramway track fixtures and fittings; mechanical (including electro-mechanical) signalling, safety or traffic control equipment for railways, tramways, roads, inland waterways, parking facilities, port installations or airfields; parts of the foregoing";

(iv) against S. No. 231B, in column (3), after the words "Slide fasteners", the words ""and parts thereof", shall be inserted;

C. in Schedule III - 9%, -

(i). against S. No. 24A, in column (3), after the words "coconut water", the words ""and caffeinated beverages" shall be inserted;

(ii). against S. No. 108, in column (3), after the words "other closures, of plastics", the brackets, words, letters and figures"(except the items covered in Sl. No. 80AA in Schedule II]), shall be inserted;

(iii). in S. No. 400, for the entry in column (3), the entry, "Following motor vehicles of length not exceeding 4000 mm, namely: -

(a) Petrol, Liquefied petroleum gases (LPG) or compressed natural gas (CNG) driven vehicles of engine capacity not exceeding 1200cc; and

(b) Diesel driven vehicles of engine capacity not exceeding 1500 cc

for persons with orthopedic physical disability, subject to the condition that an officer not below the rank of Deputy Secretary to the Government of India in the Department of Heavy Industries certifies that the said goods shall be used by the persons with orthopedic physical disability in accordance with the guidelines issued by the said Department", shall be substituted;

(iv). S. No. 446 and the entries relating thereto shall be omitted;

D. in Schedule IV – 14%, -

(i). after S. No. 12 and the entries relating thereto, the following S. No. and the entries shall be inserted, namely: -

"12A.	22029990	Caffeinated Beverages";

E. in Schedule V – 1.5%, -

(i). S. No. 3, and the entries relating thereto, shall be omitted;

(ii). S. No. 4, and the entries relating thereto, shall be omitted;

F. in Schedule VI –0.125%, -

(i) in S. No. 2, for the entry in column (3), the entry, "precious stones (other than diamonds) and semi-precious stones, whether or not worked or graded but not strung, mounted or set; ungraded precious stones (other than diamonds) and semi-precious stones, temporarily strung for convenience of transport", shall be substituted;

(ii) S. No. 2A, and the entries relating thereto, shall be omitted;

(iii) in S. No. 3, for the entry in column (3), the entry, "Synthetic or reconstructed precious or semiprecious stones, whether or not worked or graded but not strung, mounted or set; ungraded synthetic or reconstructed precious or semiprecious stones, temporarily strung for convenience of transport", shall be substituted;

(iv) S. No. 4, and the entries relating thereto, shall be omitted;

2. This notification shall come into force on the 1st October, 2019.

अधिसूचना

14 नवम्बर, 2019 ई0

संख्या 945/2019/10(120)/XXVII(8)/2019/CTR-15—चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या 06, वर्ष 2017) की धारा 11 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जीएसटी परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग–8 की अधिसूचना संख्या 518/2017/9(120)/XXVII(8)/2017, दिनांक 29 जून, 2017 में अग्रेत्तर निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, यथा–

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में,

(i) क्रम संख्या 57 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः–

"57क	0813	शुष्क इमली";

(ii) क्रम संख्या 114ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः–

"114ग	46	सभी प्रकार की पत्तियों/फूलों/छालों से बने प्लेट्स और कप्स";

2. यह अधिसूचना दिनांक 01 अक्टूबर, 2019 से लागू होगी।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification **No. 945/2019/10(120)/XXVII(8)/2019/CTR-15,** dated November 14, 2019 for general information.

NOTIFICATION

November 14, 2019

No. 945/2019/10(120)/XXVII(8)/2019/CTR-15–WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) of section 11 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 06 of 2017), the Governor, on the recommendations of the Council, is pleased to allow to make the following further amendments in the notification of the Government of Uttarakhand Finance Section-8 No. 518/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 dated 29th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Schedule,-

(i) after S. No. 57 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

"57A	0813	Tamarind dried";

(ii) after S. No. 114B and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

"114C	46	Plates and cups made up of all kinds of leaves/ flowers/bark";

2. This notification shall come into force on the 1st October, 2019.

अधिसूचना

14 नवम्बर, 2019 ई0

संख्या 946/2019/10(120)/XXVII(8)/2019/CTR-16—चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या 06, वर्ष 2017) की धारा 11 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जीएसटी परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग–8 की अधिसूचना संख्या 516/2017/9(120)/XXVII(8)/2017, दिनांक 29 जून, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, यथा–

उक्त अधिसूचना में,

(i) सारणी में, कॉलम (3) में मद (5) के पश्चात्, निम्नलिखित मद को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:–

"(6) हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी (HELP) या ओपेन एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी (OALP) के अन्तर्गत विभिन्न अनुबंधों के तहत किए जाने वाले पेट्रोलियम आपरेशन्स या कोल बेड मिथेन आपरेशन्स";

(ii) उपबंध में, शर्त संख्या 1 के समक्ष, उपवाक्य (ङ) के अंत में निम्नलिखित परन्तुक को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा–

"बशर्ते कि जहाँ इस प्रकार आपूर्त किए गए उक्त माल का म्युटिलेशन के पश्चात् नॉन सर्विसेबल के रूप में उपयोग किए जाने की मांग की गई हो, वहाँ बाह्य आपूर्ति का प्राप्तकर्ता या अंतरिती, जैसी भी स्थिति हो, अपने विकल्प पर ऐसे वस्तु के संव्यवहार मूल्य पर 9 प्रतिशत की दर से कर का भुगतान कर सकता है। बशर्ते कि बाह्य आपूर्ति का प्राप्तकर्ता या अंतरिती, जैसी भी स्थिति हो, उस उप आयुक्त, केन्द्रीय कर या सहायक आयुक्त, केन्द्रीय कर या उप आयुक्त, राज्य कर या सहायक आयुक्त, राज्य कर, जैसी भी स्थिति हो, जिसके अधिकार क्षेत्र में वस्तु का आपूर्तिकर्ता आता हो, के समक्ष पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार के हाइड्रोकार्बन्स महानिदेशालय के अधिकारी द्वारा विधिवत् प्राधिकृत इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेगा कि उक्त पदार्थ नॉन सर्विसेबल है और निपटान के लिए इसका म्युटिलेशन कर लिया गया है।"

2. यह अधिसूचना 01 अक्टूबर, 2019 से लागू होगी।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification **No. 946/2019/10(120)/XXVII(8)/2019/CTR-16,** dated November 14, 2019 for general information.

NOTIFICATION

November 14, 2019

No. 946/2019/10(120)/XXVII(8)/2019/CTR-16–WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 06 of 2017), the Governor, on the recommendations of the Council, is pleased to allow to make the following further amendments in the notification of the Government of Uttarakhand Finance Section-8 No. 516/2017/9(120)/XXVII(8)/2017, dated 29th June, 2017, namely:–

In the said notification,–

(i) In the TABLE, against S.No. I, in column (3), after item (5), the following item shall be inserted, namely:–

"(6) Petroleum operations or coal bed methane operations undertaken under specified contracts under the Hydrocarbon Exploration Licensing Policy (HELP) or Open Acreage Licensing Policy (OALP)",

(ii) In the ANNEXURE, against Condition No.1, in clause (e), the following proviso shall be inserted at the end, namely:–

"Provided that where the said goods so supplied are sought to be disposed of in non-serviceable form, after mutilation, the recipient of outward supply or the transferee, as the case may be, may at his option, pay the tax at the rate of 9 per cent. on transaction value of such goods subject to the condition that the recipient of outward supply or the transferee, as the case may be, produces before the Deputy Commissioner of Central tax or the Assistant Commissioner of Central tax or the Deputy Commissioner of State tax or the Assistant Commissioner of State tax, as the case may be, having jurisdiction over the supplier of goods, a certificate from a duly authorised officer of the Directorate General of Hydro Carbons in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Government of India, to the effect that the said goods are non-serviceable and have been mutilated for disposal."

2. This notification shall come into force on the 1st October, 2019.

अधिसूचना

14 नवम्बर, 2019 ई0

संख्या 947/2019/10(120)/XXVII(8)/2019/CTR-17–चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या 06, वर्ष 2017) की धारा 11 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जीएसटी परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग–8 की अधिसूचना संख्या 87/2019/14(120)/XXVII(8)/2018/CTR–26, दिनांक 24 जनवरी, 2019 में निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, यथा:–

उक्त अधिसूचना में,

(i) शब्द "स्वर्ण", जहाँ–जहाँ भी यह आया हों, के स्थान पर शब्द, "स्वर्ण/चांदी/प्लेटिनम" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) प्रारम्भिक पैराग्राफ में, शब्द और अंक, "शीर्षक 7108" के स्थान पर शब्द और अंक "अध्याय 71" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iii) स्पष्टीकरण में, उपवाक्य (घ) के स्थान पर निम्नलिखित उपवाक्य को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:–

"(घ) "अध्याय" से अभिप्राय सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट शीर्षक से है।";

2. यह अधिसूचना दिनांक 01 अक्टूबर, 2019 से लागू होगी।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification **No. 947/2019/10(120)/XXVII(8)/2019/CTR-17,** dated November 14, 2019 for general information.

NOTIFICATION

November 14, 2019

No. 947/2019/10(120)/XXVII(8)/2019/CTR-17–WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 06 of 2017), the Governor, on the recommendations of the Council, is pleased to allow to make the following amendments in the notification of the Government of Uttarakhand Finance Section-8 No. 87/2019/14(120)/XXVII(8)/2018/CTR-26, dated 24th January, 2019, namely:–

In the said notification,–

(i) for the word "gold", wherever it occurs, the words and symbols, "gold, silver or platinum", shall be substituted;

(ii) in the opening paragraph, for the words and figures, "heading 7108", the words and figures, "Chapter 71", shall be substituted;

(iii) in the Explanation, for clause (d), the following clause shall be substituted, namely:–

"(d) "Chapter" means heading as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975).",

2. This notification shall come into force on the 1st October, 2019.

अधिसूचना

14 नवम्बर, 2019 ई0

संख्या 948/2019/10(120)/XXVII(8)/2019/CTR-18—चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या 06, वर्ष 2017) की धारा 9 की उपधारा (1), धारा 11 की उपधारा (1) और धारा 16 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जीएसटी परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग–8 की अधिसूचना संख्या 281/2019/14(120)/XXVII(8)/2019/CTR–2, दिनांक 09 अप्रैल, 2019 में अग्रेत्तर निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, यथाः–

उक्त अधिसूचना में, अनुबंध में, क्रम संख्या 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः–

"2क	2202 10 10	वातित जल"

2. यह अधिसूचना दिनांक 01 अक्टूबर, 2019 से लागू होगी।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification **No. 948/2019/10(120)/XXVII(8)/2019/CTR-18,** dated November 14, 2019 for general information.

NOTIFICATION

November 14, 2019

No. 948/2019/10(120)/XXVII(8)/2019/CTR-18–WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (1) of section 16 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 06 of 2017), the Governor, on the recommendations of the Council, is pleased to allow to make the following further amendments in the notification of the Government of Uttarakhand Finance Section-8 No. 281/2019/4(120)/XXVII(8) /2019/ CTR-2 dated 09th April, 2019, namely:-

In the said notification, in the Annexure, after Sl. No. 2 and the entries thereto, the following Sl. No. and entries shall be inserted, namely: -

"2A.	2202 10 10	Aerated Water";

2. This notification shall come into force on the 1st October, 2019.

अधिसूचना

14 नवम्बर, 2019 ई0

संख्या 949/2019/10(120)/XXVII(8)/2019/CTR-19—चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या 06, वर्ष 2017) की धारा 11 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जीएसटी परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, उन सभी वस्तुओं पर, जिनकी आपूर्ति संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन को उन परियोजनाओं के निष्पादन के लिए की गई हो, जो कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुबंध की सूची में दी गई है, उस संपूर्ण राज्य कर से छूट प्रदान करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, जिसे उक्त अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत लगाया जा सकता है, बशर्ते कि भारत सरकार के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय के कम से कम उप सचिव स्तर के किसी अधिकारी द्वारा–

(i) ऐसी वस्तुओं की मात्रा एवं विवरण अभिप्रमाणित किया जाए; और

(ii) वह यह भी अभिप्रमाणित करे कि उक्त वस्तुओं का प्रयोग, उक्त परियोजनाओं के निष्पादन के लिए ही किया जाना है :

अनुबंध

(1) पोषण के प्रति संवेदनशील कृषि और खाद्य प्रणाली की क्षमता का संवर्द्धन,

(2) हरित कृषि: विश्व पर्यावरण के लाभ के लिए भारतीय कृषि में सुधार और संकटग्रस्त जैव विविधता और वन क्षेत्र का संरक्षण।

2. यह अधिसूचना दिनांक 01 अक्टूबर, 2019 से लागू होगी।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification **No. 949/2019/10(120)/XXVII(8)/2019/CTR-19,** dated November 14, 2019 for general information.

NOTIFICATION

November 14, 2019

No. 949/2019/10(120)/XXVII(8)/2019/CTR-19–WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 06 of 2017), the Governor, on the recommendations of the Council, is pleased to allow to exempt, all the goods supplied to the Food and Agricultural Organization for execution of projects listed in the Annexure, from whole of the State Tax leviable thereon under section 9 of the said Act, subject to the condition that an officer not below the rank of Deputy Secretary to the Government of India in the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare certifies, namely–

(i) the quantity and description of the goods; and

(ii) that the said goods are intended for the purpose of use in execution of said projects.

ANNEXURE

(1) Strengthening Capacities for Nutrition-sensitive Agriculture and Food systems,

(2) Green Ag: Transforming Indian Agriculture for Global Environment benefits and the conservation of Critical Biodiversity and Forest landscape.

2. This notification shall come into force on the 1st October, 2019.

अधिसूचना

14 नवम्बर, 2019 ई0

संख्या 950/2019/10(120)/XXVII(8)/2019/CTR–20–चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या 06 वर्ष 2017) की धारा 9 की उप धारा (1), (3) और (4), धारा 11 की उप धारा (1), धारा 15 की उपधारा (5), धारा 16 की उप धारा (1) और धारा 148 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग–8 की अधिसूचना संख्या 525/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 दिनांक 29 जून, 2017 में अग्रेत्तर निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, यथा:–

उक्त अधिसूचना में –

(1) सारणी में :–

(क) क्रम संख्या 7 के समक्ष, कॉलम (3), (4) और (5) में दी गई संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा,

(3)	(4)	(5)
(i) "होटल आवास" की आपूर्ति जिसमें प्रति इकाई व्यवस्था की आपूर्ति का मूल्य एक हजार रूपये से अधिक लेकिन सात हजार पांच सौ रूपए से कम या उसके बराबर तक प्रति इकाई प्रतिदिन या समतुलय हो।	6	–
(ii) "विशिष्ट परिसरों" से भिन्न परिसरों में "रेस्तरा सेवा" की आपूर्ति	2.5	बशर्ते कि ऐसे सेवा की आपूर्ति में प्रयुक्त माल एवं सेवाओं पर भारित कर का इनपुट कैडिट न लिया गया हो। (कृपया देखें– स्पष्टीकरण संख्या (iv))
(iii) भारतीय रेलवे या भारतीय रेलवें कैटरिंग एवं पर्यटन निगम लिमिटेड या उनके लाईसैंसियों के द्वारा किसी वस्तु, जो कि भोज्य पदार्थ या मानव के द्वारा उपभोग की जाने वाली कोई अन्य वस्तु या कोई पेय है, की आपूर्ति, चाहे वह रेलगाड़ी में अथवा प्लेटफार्म पर प्रदान की जाती हों।	2.5	बशर्ते कि ऐसे सेवा की आपूर्ति में प्रयुक्त माल एवं सेवाओं पर भारित कर का इनपुट कैडिट न लिया गया हो। (कृपया देखें– स्पष्टीकरण संख्या (iv))
(iv) "विशिष्ट परिसरों" से भिन्न परिसरों में "आऊटडोर कैटरिंग" की आपूर्ति, जो ऐसे व्यक्ति द्वारा दी गयी हो, जो निम्न से भिन्न हो: (क) "विशिष्ट परिसरों" में "होटल आवास" देने वाले आपूर्तिकर्ता, या (ख) "विशिष्ट परिसरों" में अवस्थित आपूर्तिकर्ता।	2.5	बशर्ते कि ऐसे सेवा की आपूर्ति में प्रयुक्त माल एवं सेवाओं पर भारित कर का इनपुट कैडिट न लिया गया हो। (कृपया देखें– स्पष्टीकरण संख्या (iv))
(v) "विशिष्ट परिसरों" में भिन्न अन्य परिसरों में परिसरों को किराए पर देने (जिसमें होटल, कन्वेशन सेंटर, क्लब, पंडाल, शामियाना या अन्य स्थान, विशेषकर जो समारोह के आयोजन के लिए तैयार किए जाते हैं) के साथ–साथ	2.5	बशर्ते कि ऐसे सेवा की आपूर्ति में प्रयुक्त माल एवं सेवाओं पर भारित कर का इनपुट कैडिट न लिया गया हो। (कृपया देखें– स्पष्टीकरण संख्या (iv))

"आऊटडोर कैटरिंग" की ऐसे व्यक्ति द्वारा आपूर्ति जो निम्न से भिन्न हो: (क) "विशिष्ट परिसरों" में "होटल आवास" देने वाले आपूर्तिकर्ता, या (ख) "विशिष्ट परिसरों" में अवस्थित आपूर्तिकर्ता।		
(vi) उपर्युक्त (i) से (v) से भिन्न स्थिति में आवासीय सुविधा, खाद्य और पेय सेवाएं स्पष्टीकरण: (क) किसी भी शंका को दूर करने के लिए एतदद्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि कॉलम (3) के अतंर्गत मद (ii), (iii), (iv), और (v) के अतंर्गत आने वाली आपूर्ति पर कॉलम (5) में उनके समक्ष दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए कॉलम (4) के समक्ष निर्धारित राज्य कर लगाया जाएगा, जो कि अनिवार्य होगा और इसे इस प्रविष्टि में निर्दिष्ट दर से आरोपित नहीं किया जाएगा। (ख) इस प्रविष्टि में "विशिष्ट परिसरों" में "रेस्टरा सेवाओं" की आपूर्ति शामिल हैं। (ग) इस प्रविष्टि में "होटल आवास", जिसके प्रति इकाई व्यवस्था की आपूर्ति का मूल्य सात हजार पांच सौ रूपए प्रति इकाई प्रति दिन से अधिक या समतुल्य हो, शामिल हैं। (घ) इस प्रविष्टि में "आऊटडोर कैटरिंग" जो कि ऐसे आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रदान की गयी हो, जो "विशिष्ट परिसरों" में "होटल की सुविधा" प्रदान करते हों या ऐसे आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रदान की गयी हो, जो "विशिष्ट परिसरों" में अवस्थित हों, शामिल हैं। (ड.) इस प्रविष्टि में ऐसे आपूर्तिकर्ताओं द्वारा प्रदान की गई परिसरों को किराए पर देने (जिसमें होटल, कन्वेशन सेंटर, क्लब, पंडाल, शामियाना या अन्य स्थान, विशेषकर जो समारोह के आयोजन के लिए तैयार किए जाते हैं) के साथ–साथ "आऊटडोर कैटरिंग" की संयुक्त आपूर्ति भी शामिल है, जो कि "विशिष्ट परिसरों" में "होटल आवास" प्रदान करते हैं अथवा "विशिष्ट परिसरों" में अवस्थित हों।	-9	—

(ख) क्रम संख्या 10 के समक्ष, कॉलम (2) में, शब्द "सेवा", के पश्चात शब्द "प्रचालकों सहित" अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ग) क्रम संख्या 10 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (iii) में शब्द "अथवा बिना चालक के", निरसित किए जाएंगे ;

(घ) क्रम संख्या 15 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (ii) को और कॉलम (4) और (5) में उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(ड़) क्रम संख्या 15 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (v) में, कोष्ठक और शब्द", (ii)" को निरसित किया जाएगा;

(च) क्रम संख्या 17 के समक्ष, कॉलम (2) में, शब्द और अंक "शीर्ष 9973" के पश्चात् शब्द और कोष्ठक "(प्रचालक के बिना पट्टा या भाटक सेवाएँ)", अंतःस्थापित किए जाएंगे,

(छ) क्रम संख्या 17 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (v) और (vii) को और कॉलम (4) और (5) में दी गई उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(ज) क्रम संख्या 17 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (viii) के स्थान पर, निम्नलिखित मद और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा; यथा:--

(3)
"(viii) उपर्युक्त (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi) और (viiक) से भिन्न प्रचालक के बिना पट्टा या भाटक सेवाएं।"

(झ) क्रम संख्या 21 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (i) में और कॉलम (3), (4) और (5) में दी गई उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा; यथा :–

(3)	(4)	(5)
(iक) अन्य पेशेवर, तकनीकी और व्यापारिक सेवाएं जो कि कच्चे पैट्रोलियम या प्राकृतिक गैस या दोनों के अन्वेषण, खनन या ड्रिलिंग से संबंधित हैं"	6	–

(ञ) क्रम संख्या 21 के समक्ष, कॉलम (3) मे, मद (ii) में, शब्द और कोष्ठक "पूर्वोक्त (i)" के स्थान पर शब्द और कोष्ठक "उपर्युक्त (i) और (iक)" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ट) क्रम संख्या 24 के समक्ष, कॉलम (2) में, संख्या "9986", के पश्चात शब्द और अंक "(कृषि, शिकार, वानिकी, फिशिंग, खनन और उपयोगिता समर्थक सेवाएं)" को अतःस्थापित किया जाएगा;

(ठ) क्रम संख्या 24 के समक्ष, कॉलम (3) के, मद (ii) में, शब्द "की सेवा", के स्थान पर शब्द "को समर्थन सेवाएं" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ड) क्रम संख्या 26 के समक्ष, कॉलम (3) के, मद (i) में, उपवाक्य (ग) के शब्द "उत्पाद" के पश्चात शब्द ", हीरे से भिन्न" अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ढ) क्रम संख्या 26 के समक्ष, कॉलम (3) के, मद (iक) के और कॉलम (3), (4) और (5) में दी गई उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा; यथा :–

(3)	(4)	(5)
"(iख) सेवाएं जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 71 के अंतर्गत आने वाले हीरे से संबंधित जॉब वर्क के माध्यम से दी गई हों;	0.75	–
(iग) सेवाएं जो कि बस की बाडी बिल्डिंग से संबंधित जॉब वर्क के माध्यम से दी गयी हो;	9	–
(iघ) सेवाएं जो कि उपर्युक्त (i), (iक), (iख) और (iग) से भिन्न जॉब वर्क के माध्यम से दी गई हों;	6	–";

(ण) क्रम संख्या 26 के समक्ष, कॉलम (3) मे, मद (iv) में, शब्द और अंक "(iक)", के पश्चात अंक और शब्द "(iख), (iग) और (iघ)" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) पैराग्राफ 2क में, शब्द "पंजीकृत" को निरसित किया जाएगा;

(iii) स्पष्टीकरण से संबंधित पैराग्राफ 4 में उपवाक्य (xxviii) के पश्चात, निम्नलिखित उपवाक्यों को अंतःस्थापित किया जाएगा; यथा:–

(xxix) "रेस्तरां सेवा" से ऐसे माल की किसी सेवा के रूप में या उसके भाग के रूप में, जो कि भोज्य पदार्थ या मानव के द्वारा उपभोग की जाने वाली कोई अन्य वस्तु हो या कोई पेय हो, आपूर्ति अभिप्रेत है, जो

कि किसी रेस्तरां, इटिंग ज्वाइंट, जिसमें मैस, कैंटीन भी आती हैं, के द्वारा प्रदान की गई हो, चाहे यह उसकी परिसर में ग्रहण करने के लिए या उससे बाहर ग्रहण करने के लिए की गई हो, जहाँ ऐसे भोज्य पदार्थ या मानव के द्वारा उपभोग की जाने वाली अन्य वस्तु या पेय पदार्थ की आपूर्ति की गई हो।

(xxx) "आउटडोर कैटरिंग की आपूर्ति से ऐसे माल की किसी सेवा के रूप में या उसके भाग के रूप में, जो कि भोज्य पदार्थ या मानव के द्वारा उपभोग की जाने वाली कोई अन्य वस्तु हो या कोई पेय हो, आपूर्ति अभिप्रेत है, जो कि किसी प्रदर्शनी हॉल, समारोह, सम्मेलन, मैरिज हॉल या अन्य आउटडोर या इनडोर समारोह में की गई हो, जो कि समारोह आधारित हैं और अवसर विशेष पर होते हैं।

(xxxi) "होटल आवास" से अभिप्राय, होटलों, इन्स, गैस्ट हाऊसों, क्लबों, शिविर स्थलों और अन्य वाणिज्यिक स्थानों, जिनका प्रयोग आवास या ठहरने के लिए होता है, में व्यवस्था देकर की जाने वाली आपूर्ति है, जिसमें व्यवस्था के माध्यम से टाईम शेयर यूसेस राइट्स की आपूर्ति भी आती है।

(xxxii) "घोषित टैरिफ" से अभिप्राय, किसी इकाई व्यवस्था में (ठहरने के लिए किराए पर दी गई) जैसे कि फर्नीचर, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर या अन्य सुविधाओं, जैसी सभी सुविधाओं पर लगाए जाने वाले प्रभार से है, लेकिन ऐसी इकाइयों के लिए प्रकाशित प्रभार पर दी जाने वाली किसी भी छूट को इसमें से अलग नहीं किया जाता है।

(xxxi) "विशिष्ट परिसर" से अभिप्राय, ऐसे परिसरों से है, जो कि ऐसे "होटल की व्यवस्था" की सेवाएँ प्रदान करते हैं, जिनका ठहरने की एक इकाई का घोषित टैरिफ सात हजार पाँच सौ रुपए प्रति इकाई प्रतिदिन से अधिक या समतुल्य हो।

(iv) इस अधिसूचना में संलग्न "अनुबन्ध: सेवाओं के वर्गीकरण की योजना" में–

(क) क्रम संख्या 119 से 124 के समक्ष, कॉलम (4) में, जहाँ–जहाँ भी शब्द "सहित या रहित आए हों, वहाँ–वहाँ शब्द "सहित" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) क्रम संख्या 232 से 240 के समक्ष, कॉलम (4) में, जहाँ–जहाँ भी शब्द "के साथ या उसके बिना" आए हों, वहाँ–वहाँ शब्द "के बिना" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

2. यह अधिसूचना दिनांक 01 अक्टूबर, 2019 से लागू होगी।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 950/2019/10(120)/XXVII(8)/2019/CTR-20, dated November 14, 2019 for general information.

NOTIFICATION

November 14, 2019

No. 950/2019/10(120)/XXVII(8)/2019/CTR-20–WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, In exercise of the powers conferred by sub-sections (1), (3) and (4) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15, sub-section (1) of section 16 and section 148 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 06 of 2017), the Governor, on the recommendations of the Council, is pleased to allow to make the following further amendments in the notification of the Government of Uttarakhand Finance Section-8 No. 525/2017/9(120)/XXVII(8)/2017, dated 29th June, 2017, namely:–

In the said notification,–

(i) In the Table,–

(a) against serial number 7, for the entries relating thereto in column (3), (4) and (5), the following items and entries shall be substituted, namely,–

(3)	(4)	(5)
(i) Supply of 'hotel accommodation' having value of supply of a unit of accommodation above one thousand rupees but less than or equal to seven thousand five hundred rupees per unit per day or equivalent.	6	
(ii) Supply of 'restaurant service' other than at 'specified premises'	2.5	Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service has not been taken [Please refer to *Explanation* no. (iv)]
(iii) Supply of goods, being food or any other article for human consumption or any drink, by the Indian Railways or Indian Railways Catering and Tourism Corporation Ltd. or their licensees, whether in trains or at platforms.	2.5	Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the

		service has not been taken [Please refer to *Explanation* no. (iv)]
(iv) Supply of 'outdoor catering', at premises other than 'specified premises' provided by any person other than- (a) suppliers providing 'hotel accommodation' at 'specified premises', or (b) suppliers located in 'specified premises'.	2.5	Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service has not been taken [Please refer to *Explanation* no. (iv)]
(v) Composite supply of 'outdoor catering' together with renting of premises (including hotel, convention center, club, pandal, shamiana or any other place, specially arranged for organising a function) at premises other than 'specified premises' provided by any person other than- (a) suppliers providing 'hotel accommodation' at 'specified premises', or (b) suppliers located in 'specified premises'.	2.5	Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service has not been taken [Please refer to *Explanation* no. (iv)]
(vi) Accommodation, food and beverage services other than (i) to (v) above Explanation: (a) For the removal of doubt, it is hereby clarified that, supplies covered by items (ii), (iii), (iv) and (v) in column (3) shall attract state tax prescribed against them in column (4) subject to conditions specified against them in column (5), which is a mandatory rate and shall not be levied at the rate as specified under this entry. (b) This entry covers supply of 'restaurant service' at 'specified premises' (c) This entry covers supply of 'hotel accommodation' having value of supply of a unit of accommodation above seven thousand five hundred rupees per unit per day or equivalent. (d) This entry covers supply of 'outdoor catering', provided by suppliers providing 'hotel accommodation' at	9	-"

specified premises', or suppliers located in 'specified premises'. (e) This entry covers composite supply of 'outdoor catering' together with renting of premises (including hotel, convention center, club, pandal, shamiana or any other place, specially arranged for organising a function) provided by suppliers providing 'hotel accommodation' at 'specified premises', or suppliers located in 'specified premises'.		

(b) against serial number 10, in column (2), after the word "vehicles", the words "with operators" shall be inserted;

(c) against serial number 10, in column (3), in item (iii), the words "or without" shall be omitted;

(d) against serial number 15, in column (3), item (ii) and the entries relating thereto in column (4) and (5) shall be omitted;

(e) against serial number 15, in column (3), in item (v), the brackets and words ", (ii)" shall be omitted;

(f) against serial number 17, in column (2), the figures and words ", with or" shall be omitted;

(g) against serial number 17, in column (3), item (v) and (vii) and the entries relating thereto in column (4) and (5) shall be omitted;

(h) against serial number 17, in column (3), for item (viii), the following shall be substituted; namely-

(3)
"(viii) Leasing or rental services, without operator, other than (i), (ii), (iii), (iv), (vi) and (viia) above."

(i) against serial number 21, after item (i) in column (3) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following shall be inserted, namely: -

(3)	(4)	(5)
"(ia) Other professional, technical and business services relating to exploration, mining or drilling of petroleum crude or natural gas or both	6	-";

(j) against serial number 21, in column (3) in item (ii),for the words and brackets "(i) above" the words and brackets "(i) and (ia) above" shall be substituted;

(k) against serial number 24, in column (2), after the numbers "9986", the words and figures "(Support services to agriculture, hunting, forestry, fishing, mining and utilities)" shall be inserted;

(l) against serial number 24, in column (3), in item (ii), for the words "Service of", the words "Support services to" shall be substituted;

(m) against serial number 26, in column (3), in item (i), in clause (c), after the words "products", the figures and words ", other than diamonds," shall be inserted;

(n) against serial number 26, after item (ia) in column (3) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following shall be inserted, namely: -

(3)	(4)	(5)
"(ib) Services by way of job work in relation to diamonds falling under chapter 71 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51of 1975);	0.75	-

(ic) Services by way of job work in relation to bus body building;	9	-
(id) Services by way of job work other than (i), (ia), (ib) and (ic) above;	6	-";

(o) against serial number 26, in column (3), in item (iv), after the brackets, words and figures "(ia),", the brackets, figures and words "(ib), (ic), (id)," shall be inserted;

(ii) in the paragraph 2A, the word "registered" shall be omitted;

(iii) in paragraph 4 relating to explanation, after clause (xxviii), the following clauses shall be inserted, namely:-

"(xxix) 'Restaurant service' means supply, by way of or as part of any service, of goods, being food or any other article for human consumption or any drink, provided by a restaurant, eating joint including mess, canteen, whether for consumption on or away from the premises where such food or any other article for human consumption or drink is supplied.

(xxx) 'Outdoor catering' means supply, by way of or as part of any service, of goods, being food or any other article for human consumption or any drink, at Exhibition Halls, Events, Conferences, Marriage Halls and other outdoor or indoor functions that are event based and occasional in nature.

(xxxi) 'Hotel accommodation' means supply, by way of accommodation in hotels, inns, guest houses, clubs, campsites or other commercial places meant for residential or lodging purposes including the supply of time share usage rights by way of accommodation.

(xxxii) 'Declared tariff' means charges for all amenities provided in the unit of accommodation (given on rent for stay) like furniture, air conditioner, refrigerators or any other amenities, but without excluding any discount offered on the published charges for such unit.".

(xxxiii) 'Specified premises' means premises providing 'hotel accommodation' services having declared tariff of any unit of accommodation above seven thousand five hundred rupees per unit per day or equivalent.

(iv) in the 'Annexure: Scheme of Classification of Services', annexed to the notification, -

(a) against serial number 119 to 124, in column (4), for the words "with or without", wherever they occur, the word "with" shall be substituted;

(b) against serial number 232 to 240, in column (4), for the words "with or without", wherever they occur, the word "without" shall be substituted;

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of October, 2019.

अधिसूचना

14 नवम्बर, 2019 ई0

संख्या 951/2019/10(120)/XXVII(8)/2019/CT—43—चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या 06 वर्ष 2017) (एतस्मिन पश्चात जिसे "उक्त अधिनियम" से संदर्भित किया गया है) की धारा 10 की उप धारा (1) के परन्तुक के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग -8 की अधिसूचना संख्या 284/2019/4(120)/XXVII(8)/2019/CT-14 दिनांक 09 अप्रैल, 2019 में अग्रेत्तर निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

"2क	2202 10 10	एरेटेड वाटर";

2. यह अधिसूचना 01 अक्तूबर, 2019 से लागू होगी।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 951/2019/10(120)/XXVII(8)/2019/CT-43, dated November 14, 2019 for general information.

NOTIFICATION

November 14, 2019

No. 951/2019/10(120)/XXVII(8)/2019/CT-43–WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, In exercise of the powers conferred under the proviso to the sub-section (1) of section 10 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 06 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act), the Governor, on the recommendations of the Council, is pleased to allow to make the following further amendments in the notification of the Government of Uttarakhand Finance Section-8 No.284/2019/4(120)/XXVII(8)/2019/CT-14 dated 09th April,2019, namely:-

In the said notification, in the table, after Sl. No. 2 and the entries thereto, the following Sl. No. and entries shall be inserted, namely: -

"2A.	2202 10 10	Aerated Water";

2. This notification shall come into force on the 1st October, 2019.

अधिसूचना

14 नवम्बर, 2019 ई0

संख्या 952/2019/10(120)/XXVII(8)/2019/CTR-21–चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या 06, वर्ष 2017) की धारा 11 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जीएसटी परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग–8 की अधिसूचना संख्या 530/2017/9(120)/XXVII(8)/2017, दिनांक 29 जून, 2017 में अग्रेत्तर निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, यथा–

उक्त अधिसूचना में,–

(i) सारणी में,–

(क) क्रम संख्या 7 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में शब्दों और कोष्ठक " बीस लाख रूपये (किसी विशेष प्रवर्ग राज्य की दशा में दस लाख रूपये)" के स्थान पर निम्निलिखित शब्दों, कोष्ठक और अंकों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा,–

"ऐसी राशि जितने से कि वे उत्तराखण्ड माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) के अंतर्गत पंजीकरण से छूट प्राप्त करने के पात्र हों"

(ख) क्रम संख्या 9क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:–

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"9कक	अध्याय 99	भारत में आयोजित होने वाली FIFA U-17 महिला विश्व कप, 2020 के अंतर्गत किसी भी समारोह, में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन (FIFA) और इसके सहायक संगठनों के द्वारा या इनको प्रदान की जाने वाली सेवाएं।	शून्य	बशर्ते कि निदेशक (खेल), युवा मामलों और खेल मंत्रालय यह प्रमाणित कर दे कि ये सेवाएं प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः FIFA U-17 महिला विश्व कप, 2020 के अंतर्गत आने वाले समारोह से संबंधित हैं।"

(ग) क्रम संख्या 14 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में, शब्द "कम" के पश्चात् शब्द "या के बराबर" को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(घ) क्रम संख्या 19क के समक्ष, कॉलम (5) की प्रविष्टि में, अंक "2019" के स्थान पर अंक "2020" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ङ) क्रम संख्या 19ख के समक्ष, कॉलम (5) की प्रविष्टि में, अंक "2019" के स्थान पर अंक "2020" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(च) क्रम संख्या 24क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
24ख	शीर्षक 9967 या शीर्षक 9985	अनाज, दालें, फल, नट्स और सब्जियाँ, मसाले, कोपरा, गन्ना, गुड़, कच्चे वनस्पति रेशे, जैसे कि कपास, फ्लैक्स जूट आदि, नील, गैर विनिर्मित तम्बाकू, पान के पत्ते, तेंदू के पत्ते, काफी और चाय के भण्डारण या वेयरहाउसिंग के माध्यम से दी जाने वाली सेवाएँ	शून्य	शून्य

(छ) क्रम संख्या 29क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
29ख	शीर्षक 9971 या शीर्षक 9991	केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (गृह मंत्रालय के अन्तर्गत) समूह बीमा कोष के द्वारा संबंधित केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल की सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत अपने सदस्यों को जीवन बीमा से संबंधित दी गई या दिए जाने के लिए अनुबंधित सेवाएँ	शून्य	शून्य

(ज) क्रम संख्या 35 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में प्रविष्टि (थ) के पश्चात् शब्द "(द) बंग्ला सस्य बीमा" अंतःस्थापित किया जाएगा;

(झ) क्रम संख्या 45 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में जहाँ—जहाँ शब्द और कोष्ठक "बीस लाख रुपए (किसी विशेष प्रवर्ग राज्य की दशा में दस लाख रुपए)" आए हों, वहाँ—वहाँ उनके स्थान पर निम्नलिखित शब्द, कोष्ठक और अंक को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथाः—

"ऐसी राशि जितने से कि वे उत्तराखण्ड माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) के अन्तर्गत पंजीकरण से छूट प्राप्त करने के पात्र हों।"

(ञ) क्रम संख्या 82 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"82क	शीर्षक 9996	FIFA U-17 महिला विश्वकप, 2020 के अन्तर्गत आयोजित होने वाले समारोह में प्रवेश के अधिकार देने के माध्यम से दी जाने वाली सेवाएँ	शून्य	शून्य

2. यह अधिसूचना दिनांक 01 अक्टूबर, 2019 से लागू होगी।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification **No. 952/2019/10(120)/XXVII(8)/2019/CTR-21**, dated November 14, 2019 for general information.

NOTIFICATION

November 14, 2019

No. 952/2019/10(120)/XXVII(8)/2019/CTR-21–WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 06 of 2017), the Governor, on the recommendations of the Council, is pleased to allow to make the following further amendments in the notification of the Government of Uttarakhand Finance Section-8 No. 530/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 dated 29th June, 2017, namely:-

In the said notification, -

(i) in the Table, -

(a) against serial number 7, in the entry in column (3), for the words and brackets, "twenty lakh rupees (ten lakh rupees in case of a special category state) in the preceding financial year", the following words, brackets and figures shall be substituted, namely, –

"such amount in the preceding financial year as makes it eligible for exemption from registration under the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017)";

(b) after serial number 9A and the entries relating thereto, the following shall be inserted namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"9AA	Chapter 99	Services provided by and to Fédération Internationale de Football Association (FIFA) and its subsidiaries directly or indirectly related to any of the events under FIFA U-17 Women's World Cup 2020 to be hosted in India.	Nil	Provided that Director (Sports), Ministry of Youth Affairs and Sports certifies that the services are directly or indirectly related to any of the events under FIFA U-17 Women's World Cup 2020.";

(c) against serial number 14, in the entry in column (3), after the word 'below', the words 'or equal to' shall be inserted;

(d) against serial number 19A, in the entry in column (5), for the figures "2019", the figures "2020" shall be substituted;

(e) against serial number 19B, in the entry in column (5), for the figures "2019", the figures "2020" shall be substituted;

(f) after serial number 24A and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"24B	Heading 9967 or Heading 9985	Services by way of storage or warehousing of cereals, pulses, fruits, nuts and vegetables, spices, copra, sugarcane, jaggery, raw vegetable fibres such as cotton, flax, jute etc., indigo, unmanufactured tobacco, betel leaves, tendu leaves, coffee and tea.	Nil	Nil"

(g) after serial number 29A and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"29B	Heading 9971 or Heading 9991	Services of life insurance provided or agreed to be provided by the Central Armed Police Forces (under Ministry of Home Affairs) Group Insurance Funds to their members under the Group Insurance Schemes of the concerned Central Armed Police Force.	Nil	Nil";

(h) against serial number 35, in the entry in column (3), after the entry (q), the entry "(r) Bangla Shasya Bima" shall be inserted;

(i) against serial number 45, in the entries in column (3), for the words and brackets "twenty lakh rupees (ten lakh rupees in case of special category states) in the preceding financial year", wherever they occur, the following words, brackets and figures shall be substituted, namely, –

"such amount in the preceding financial year as makes it eligible for exemption from registration under the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017)";

(j) after serial number 82 and the entries relating thereto, the following shall be inserted namely:–

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"82A	Chapter 9996	Services by way of right to admission to the events organised under FIFA U-17 Women's World Cup 2020	Nil	Nil

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of October, 2019.

अधिसूचना

14 नवम्बर, 2019 ई0

संख्या 953/2019/10(120)/XXVII(8)/2019/CTR-22–चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या 06, वर्ष 2017) की धारा 9 की उपधारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जीएसटी परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग–8 की अधिसूचना संख्या 526/2017/9(120)/XXVII(8)/2017, दिनांक 29 जून, 2017 में अग्रेत्तर निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, यथा:–

उक्त अधिसूचना में, सारणी में–

(i) क्रम संख्या 9 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा; यथा:–

(1)	(2)	(3)	(4)
"9	किसी म्यूजिक कम्पोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट या इसी प्रकार के व्यक्ति द्वारा किसी मूल ड्रामेटिक या म्यूजिकल या आर्टिस्टिक रचना से संबंधित कॉपीराइट एक्ट, 1957 की धारा 13 की उपधारा (1) के उपवाक्य (क) के अन्तर्गत आने वाले कॉपीराइट का किसी संगीत कम्पनी, प्रोड्यूसर या इसी प्रकार के व्यक्ति को अंतरण करने या उसके उपयोग की अनुमति देकर की जाने वाली सेवाओं की आपूर्ति	म्यूजिक कम्पोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट या इसी प्रकार के व्यक्ति	कराधेय भू–क्षेत्र में अवस्थित संगीत कम्पनी, प्रोड्यूसर या इसी प्रकार के व्यक्ति।"

(ii) क्रम संख्या 9 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या एवं प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा; यथा:–

(1)	(2)	(3)	(4)
"9क	किसी लेखक द्वारा अपने मूल साहित्यिक रचना से संबंधित कॉपीराइट एक्ट, 1957 की धारा 13 की उपधारा (1) के उपवाक्य (क) के अन्तर्गत आने वाले कॉपीराइट का किसी प्रकाशक को अंतरण करके या उसके प्रयोग की अनुमति देकर की जाने वाली सेवा की आपूर्ति	लेखक	कराधेय भू–क्षेत्र में अवस्थित प्रकाशक: बशर्ते की इस प्रविष्टि में निहित कोई भी बात वहाँ लागू नहीं होगी, जहाँ कि,– (i) लेखक ने उत्तराखण्ड माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) के तहत पंजीयन लिया है एवं अधिकार क्षेत्र वाले सीजीएसटी या एसजीएसटी आयुक्त, जैसी भी स्थिति हो, के समक्ष अनुबंध I में दिए गए प्रपत्र में, उसमें निर्धारित समय–सीमा के भीतर, यह घोषणा की हो कि वह कॉलम (2) के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट सेवा पर उत्तराखण्ड माल एवं सेवा

			कर अधिनियम, 2017 की धारा 9 (1) के अनुसार फारवर्ड चार्ज के अंतर्गत राज्य कर का भुगतान करने के विकल्प का प्रयोग करेगा और उत्तराखण्ड माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) के सभी प्रावधानों का उसी प्रकार अनुपालन करेगा जैसा कि वह उस व्यक्ति पर लागू होते हैं, जिसका कि किसी वस्तु या सेवा या दोनों की आपूर्ति के संबंध में कर का भुगतान करने का दायित्व होता है और वह एसे विकल्प के प्रयोग किए जाने की तारीख से एक वर्ष के भीतर उक्त विकल्प को वापस नहीं लेगा। (ii) जैसा कि अनुबंध II में विहित है, लेखक, प्रकाशक के समक्ष अपने द्वारा जारी फॉर्म GST Inv-I में घोषणा करेगा।"

(iii) क्रम संख्या 14 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और उससे संबंधित प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:–

(1)	(2)	(3)	(4)
"15	किसी बॉडी कारपोरेट को मोटर वाहन को किराए पर दिये जाने के माध्यम से प्रदान की गई सेवा	किसी बॉडी कारपोरेट से भिन्न कोई व्यक्ति जो मोटर वाहनों को किराये पर देने की सेवा पर 2.5% की दर से राज्य कर का भुगतान करता है और समान व्यापार श्रृंखला में केवल इनपुट सेवा का इनपुट टैक्स क्रेडिट लेता है।	कराधेय भू–क्षेत्र में अवस्थित कोई बॉडी कारपोरेट।
16	भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की यथा संशोधित, सेक्युरिटीज़ लेंडिंग स्कीम, 1997 (स्कीम), के अंतर्गत प्रतिभूतियों को उधार देने की सेवाएं।	लेनदार अर्थात् ऐसा व्यक्ति जो अपने नाम से पंजीकृत या अपनी ओर से विधिवत प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के नाम से पंजीकृत प्रतिभूति को सेबी की इस स्कीम के अंतर्गत उधार देने के उद्देश्य से किसी अनुमोदित मध्यस्थ के पास जमा करता है।	देनदार अर्थात ऐसा व्यक्ति जो इस स्कीम के अंतर्गत सेबी के द्वारा अनुमोदित किसी मध्यस्थ से प्रतिभूति को उधार लेता है।"

2. यह अधिसूचना दिनांक 01 अक्टूबर, 2019 से लागू होगी।

अनुबंध–I

प्रपत्र

(सारणी के क्रम संख्या 9A)

(घोषणा जिसको कि, लेखक के द्वारा, किसी मूल साहित्यिक रचना के संबंध में कॉपीराइट एक्ट, 1957 की धारा–13 की उपधारा (1) के उपवाक्य (क) के अन्तर्गत आने वाले कॉपीराइट के प्रयोग अथवा उसके उपभोग की किसी प्रकाशक को अंतरित किए जाने या उसकी अनुमति दिए जाने के माध्यम से किसी की गई सेवा की आपूर्ति पर फारवर्ड चार्ज के अन्तर्गत कर का भुगतान करने के विकल्प के प्रयोग के लिए; 01.11.2019 से प्रभावी होने के लिए 31.10.2019 को या उससे पहले तथा किसी वित्तीय वर्ष से प्रभावी होने के लिए उस वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ के पहले किया जाना है।)

संदर्भ संख्या..... तारीख.....

सेवा में,

....

....

....

(अधिकार क्षेत्र वाले आयुक्त को संबोधित किया जाना है)

1. लेखक का नाम
2. लेखक का पता
3. लेखक का जीएसटीआईएन

घोषणा

1. मैंने उत्तराखण्ड माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) के तहत पंजीयन ले लिया है और मैं अधिसूचना संख्या 526/2017/9(120)/XXVII(8)/2017, दिनांक 29 जून, 2017 का क्रम संख्या 9क के कॉलम (2) में दी गई निर्दिष्ट सेवा पर, उत्तराखण्ड माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा–9(1) के अनुसार, राज्य कर का भुगतान फारवर्ड चार्ज के अन्तर्गत करने विकल्प का प्रयोग करता हूँ और उत्तराखण्ड माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) के सभी प्रावधानों का उसी प्रकार से अनुपालन करूँगा, जैसा कि वे किसी सामान या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के संबंध में कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति पर लागू होते हैं;
2. मुझे यह भी पता है कि इस विकल्प को, एक बार प्रयोग करने के बाद, विकल्प का प्रयोग करने की तिथि से 01 वर्ष की अवधि के भीतर परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी और यह जिस वर्ष इसे स्वीकार किया गया है, उस वर्ष के अगले वित्तीय वर्ष के अंत तक, कम से कम, वैध रहेगा।

हस्ताक्षर.....

नाम.....

जीएसटीआईएन.....

स्थान.....

तारीख.....

अनुबंध–II

(घोषणा, जिसे इनवॉयस में उस लेखक के द्वारा की जानी है, जिसने फारवर्ड चार्ज के अन्तर्गत किसी मूल साहित्यिक रचना के संबंध में कॉपीराइट एक्ट, 1957 की धारा–13 की उपधारा (1) के उपवाक्य (क) के अन्तर्गत आने वाले कॉपीराइट के प्रयोग या उसके उपभोग की किसी प्रकाशक को अंतरण या अनुमति दिए जाने के माध्यम से उक्त लेखक द्वारा की गई सेवा की आपूर्ति पर कर भुगतान के विकल्प का चयन किया हो।)

घोषणा

मैंने फॉरवर्ड चार्ज के तहत अधिसूचना संख्या 526/2017/9(120)/XXVII(8)/2017, दिनांक 29 जून, 2017 का क्रम संख्या 9क के कॉलम (2) में दी गई निर्दिष्ट सेवा पर राज्य कर का भुगतान करने के विकल्प का उपयोग किया है।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification **No. 953/2019/10(120)/XXVII(8)/2019/CTR-22,** dated November 14, 2019 for general information.

NOTIFICATION

November 14, 2019

No. 953/2019/10(120)/XXVII(8)/2019/CTR-22–WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9, of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 06 of 2017), the Governor, on the recommendations of the Council, is pleased to allow to make the following further amendments in the notification of the Government of Uttarakhand Finance Section-8 No. 526/2017/9(120)/XXVII(8)/2017, dated 29th June, 2017, namely:–

In the said notification, in the Table,–

(i) for serial number 9 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:–

(1)	(2)	(3)	(4)
9.	Supply of services by a music composer, photographer, artist or the like by way of transfer or permitting the use or enjoyment of a copyright covered under clause (a) of sub-section (1) of section 13 of the Copyright Act, 1957 relating to original dramatic, musical or artistic works to a music company, producer or the like.	Music composer, photographer, artist, or the like	Music company, producer or the like, located in the taxable territory.

(ii) after serial number 9 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:–

(1)	(2)	(3)	(4)
9A.	Supply of services by an author by way of transfer or permitting the use or enjoyment of a copyright covered under clause (a) of sub-section (1)	Author	Publisher located in the taxable territory:

		of section 13 of the Copyright Act, 1957 relating to original literary works to a publisher.		Provided that nothing contained in this entry shall apply where, - (i) the author has taken registration under the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017), and filed a declaration, in the form at Annexure I, within the time limit prescribed therein, with the jurisdictional CGST or SGST commissioner, as the case may be, that he exercises the option to pay state tax on the service specified in column (2), under forward charge in accordance with Section 9 (1) of Uttarakhand Goods and Services Tax Act, under forward charge, and to comply with all the provisions of Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017) as they apply to a person liable for paying the tax in relation to the supply of any goods or services or both and that he shall not withdraw the said option within a period of 1 year from the date of exercising such option;

			(ii) the author makes a declaration, as prescribed in Annexure II on the invoice issued by him in Form GST Inv-I to the publisher.

(iii) after serial number 14 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
"15.	Services provided by way of renting of a motor vehicle provided to a body corporate.	Any person other than a body corporate paying State Tax at the rate of 2.5% on renting of motor vehicles with input tax credit only of input service in the same line of business	Any body corporate located in the taxable territory.;
16.	Services of lending of securities under Securities Lending Scheme, 1997 ("Scheme") of Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), as amended.	Lender i.e. a person who deposits the securities registered in his name or in the name of any other person duly authorised on his behalf with an approved intermediary for the purpose of lending under the Scheme of SEBI	Borrower i.e. a person who borrows the securities under the Scheme through an approved intermediary of SEBI.";,

2. This notification shall come into force on the 1st day of October, 2019.

Annexure I

FORM

(9A of Table)

(Declaration to be filed by an author for exercising the option to pay tax on the "supply of services by an author by way of transfer or permitting the use or enjoyment of a copyright covered under clause (a) of sub-section (1) of section 13 of the Copyright Act, 1957 relating to original literary works to a publisher" under forward charge on or before 31.10.2019 for the option to be effective from 1.11.2019 *or* before the commencement of any Financial Year for the option to be effective from the commencement of that Financial Year.)

Reference No. _____ Date _____

To

_____

_____

_____

(To be addressed to the jurisdictional Commissioner)

1. Name of the author:
2. Address of the author:
3. GSTIN of the author:

Declaration

1. I have taken registration under the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017), and I hereby exercise the option to pay state tax on the service specified against serial No. 9A in column (2) of the Table in the notification No.526/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 dated 29th June, 2017, supplied by me, under forward charge in accordance with section 9 (1) of Uttarakhand Goods and Services Tax Act,2017 and to comply with all the provisions of Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017) as they apply to a person liable for paying the tax in relation to the supply of any goods or services or both;

2. I understand that this option, once exercised, shall not be allowed to be changed within a period of 1 year from the date of exercising the option and shall be valid, at least, till the end of Financial Year following the year in which it is made.

Signature _____

Name _____

GSTIN _____

Place _____

Date _____

Annexure–II

(Declaration to be made in the invoice by the author exercising the option to pay tax on the "supply of service by an author by way of transfer or permitting the use or enjoyment of a copyright covered under clause (a) of sub-section (1) of section 13 of the Copyright Act, 1957 relating to original literacy works to a publisher" under forward charge.)

Declaration

(9A of Table)

I have exercised the option to pay state tax on the service specified against serial No. 9A in column (2) of the Table in the notifications No. 526/2017/9(120)/XXVII(8)/2017, dated 29th June, 2017 under forward charge.

अधिसूचना

14 नवम्बर, 2019 ई०

संख्या 954/2019/10(120)/XXVII(8)/2019/CTR-23–चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल एवं सेवा कर अधिनियम, (2017 का 06) की धारा 148 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जीएसटी परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग–8 की अधिसूचना संख्या 140/2018/18(120)/XXVII(8)/2017/CTR-4, दिनांक 02 फरवरी, 2018 में अग्रेत्तर निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, यथा:–

पैराग्राफ के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:–

"स्पष्टीकरण:–

इस अधिसूचना में निहित कोई भी बात वहाँ लागू नहीं होगी, जहाँ विकास के अधिकार की आपूर्ति दिनांक 01.04.2019 को या उसके बाद की गई हो"।

2. यह अधिसूचना दिनांक 01 अक्टूबर, 2019 से लागू होगी।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification **No. 954/2019/10(120)/XXVII(8)/2019/CTR-23,** dated November 14, 2019 for general information.

NOTIFICATION

November 14, 2019

No. 954/2019/10(120)/XXVII(8)/2019/CTR-23–WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, In exercise of the powers conferred by section 148 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 06 of 2017), the Governor, on the recommendations of the Council, is pleased to allow to make the following amendments in the notification of the Government of Uttarakhand Finance Section-8 No. 140/2018/18(120)/XXVII(8)/2017/CTR-4, dated 02nd February, 2018, namely:–

After paragraph, the following explanation shall be inserted, namely:–

"Explanation–

Nothing contained in this notification shall apply where development rights are supplied on or after 01.04.2019."

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of October, 2019.

अधिसूचना

14 नवम्बर, 2019 ई0

संख्या 955/2019/10(120)/XXVII(8)/2019/CTR-24–चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या 06, वर्ष 2017) की धारा 9 की उपधारा (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जीएसटी परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग–8 की अधिसूचना संख्या 420/2019/04(120)/XXVII(8)/2019/CTR-07, दिनांक 31 मई, 2019 में निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, यथा:–

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 2 के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:–

"सीमेंट, जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय शीर्षक 2523 के अन्तर्गत आता है।"

2. यह अधिसूचना दिनांक 01 अक्टूबर, 2019 से लागू होगी।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification **No. 955/2019/10(120)/XXVII(8)/2019/CTR-24,** dated November 14, 2019 for general information.

NOTIFICATION

November 14, 2019

No. 955/2019/10(120)/XXVII(8)/2019/CTR-24–WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 9 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 06 of 2017), the Governor, on the recommendations of the Council, is pleased to allow to make the following amendments in the notification of the Government of Uttarakhand Finance Section-8 No. 420/2019/04(120)/XXVII(8)/2019/CTR-07, dated 31st May, 2019, namely:–

In the said notification, in the Table, against serial number 2, for the entry in column (2), the following entry shall be substituted, namely:–

"Cement falling in chapter heading 2523 in the first schedule to the Customs Tariff act, 1975 (51 of 1975)."

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of October, 2019.

अधिसूचना

14 नवम्बर, 2019 ई0

संख्या 956/2019/10(120)/XXVII(8)/2019/CTR-25–चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल एवं सेवा कर अधिनियम, (अधिनियम संख्या 06, वर्ष 2017) की धारा 7 की उपधारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जीएसटी परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, राज्य सरकारों द्वारा किए जाने वाले, निम्नलिखित क्रियाकलाप या संव्यवहार, जिनमें वे लोक प्राधिकारी के रूप में नियुक्त की गई हों, को न तो माल की आपूर्ति और न ही सेवा की आपूर्ति माना जाएगा, यथा:–

"लाइसेंस शुल्क या आवेदन शुल्क या जिस किसी भी नाम से इसे जाना जाता हो, के प्रतिफल की एवज में शराब के लाइसेंस को दिए जाने के माध्यम से सेवा।"

2. यह अधिसूचना दिनांक 01 अक्टूबर, 2019 से लागू होगी।

आज्ञा से,
अमित सिंह नेगी,
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification **No. 956/2019/10(120)/XXVII(8)/2019/CTR-25,** dated November 14, 2019 for general information.

NOTIFICATION

November 14, 2019

No. 956/2019/10(120)/XXVII(8)/2019/CTR-25–WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 7 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 06 of 2017), the Governor, on the recommendations of the Council, is pleased to allow to notify that the following activities or transactions undertaken by the State Government, shall be treated neither as a supply of goods nor a supply of service, namely:–

"Service by way of grant of liquor licence, against consideration in the form of licence fee or application fee or by whatever name it is called."

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of October, 2019.

By Order,
AMIT SINGH NEGI,
Secretary.

विपिन चन्द्र,
अपर आयुक्त राज्य कर,
मुख्यालय, देहरादून।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 49 हिन्दी गजट/594–भाग 1–क–2019 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 07 दिसम्बर, 2019 ई0 (अग्रहायण 16, 1941 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

सूचना

मैंने अपना नाम ईश्वर राम बुदियाल से बदलकर ईश्वर चन्द्र बुदियाल कर लिया है। भविष्य में मुझे ईश्वर चन्द्र बुदियाल पुत्र स्व0 गगनराम के नाम से जाना जाये।

समस्त विधिक औपचारिकताये मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गयी है।

ह0/–

ईश्वर चन्द्र बुदियाल पुत्र स्व0 गंगनराम
निवासी ग्राम व पो0 बूदी तहसील धारचूला
जिला पिथौरागढ।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 49 हिन्दी गजट/594–भाग 8–2019 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।